



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 51]
No. 51]

नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 20, 1986/अग्रहायण 29, 1908
NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 20, 1986/AGRAHAYANA 29, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

याचना मंत्रालय

(सांख्यिकी विभाग)

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 1986

सा.का.नि. 1070 :—संविधान के अनुच्छेद 309 के परस्त्वक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, सांख्यिकी विभाग (पुस्तकालयाध्यक्ष) भर्ती नियमावली, का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:

- इन नियमों को केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, सांख्यिकी विभाग (पुस्तकालयाध्यक्ष) भर्ती (संशोधन) नियमावली, 1986 कहा जाएगा।
- ये नियम भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

*2. केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, सांख्यिकी विभाग (पुस्तकालयाध्यक्ष) भर्ती नियमावली, 1979 में, अनुसूची के लिए निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:

“अनुसूची

पद का नाम	पदों की सं.	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा पैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
पुस्तकालयाध्यक्ष	2* (दो) 1986	सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप “बी” अराजपयिन	1640-60-2600-द. रो.-75-2900,	लाग नहीं	30 वर्षों से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई हिदायतों अथवा आदेशों के अनुसार 5 वर्षों की छूट)

भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जितने प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा

11

प्रोन्नति द्वारा

12

प्रोन्नति

प्राकाशवाणी/दूरदर्शन के ऐसे प्राशुत्विक श्रेणी 1 जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की है जिसके न हो सकने पर ऐसे प्राशुत्विक श्रेणी 1 जिन्होंने प्राशुत्विक श्रेणी 1 और प्राशुत्विक श्रेणी 2 के पदों पर कृप मिलाकर 8 वर्ष नियमित सेवा की है।
टिप्पण : दूरदर्शन के ऐसे श्रेणी 1 प्राशुत्विक जो प्राकाशवाणी/दूरदर्शन के प्रसाजन पर दूरदर्शन में जाने को विकल्प देंगे, उन पर बिचार नहीं किया जाएगा।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13

14

समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

उप महानिदेशक (प्रशासन), प्राकाशवाणी महानिदेशालय.

—अध्यक्ष

संयुक्त निदेशक, समाचार सेवा प्रभाग, प्राकाशवाणी

—सदस्य

प्राकाशवाणी का एक उप महानिदेशक

—सदस्य

[संख्या 9/23/82-एत. II/प्राकाशवाणी/बी(ए)]
कश्मीरी लाल, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

(Group 'B' posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1986.

New Delhi, the 21st November, 1986

GSR 1095.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution, the President here-makes the following rules further to amend the All India Radio (Group 'B' posts) Recruitment Rules, 1962 namely—

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Group B Posts) Recruitment Rules, 1962, for Serial number 25 relating to the post of Reporter (Monitoring) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

1. (1) These rules may be called the All India Radio

SCHEDULE

Name of post	No. of post	Classifi- cation	Scale of pay	Whether selection post or non-selec- tion post	Whether benefit of advised years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifica- tions required for direct recruits	Whether age and educational qua- fications pres- cribed for direct recruits will apply in the case of pro- motees
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25. Reporter (Monitor- ing)	8* (1986) *Subject to varia- tion dependent on work- load	General Central Service Group 'B' Gazetted Non- Ministerial	Rs. 650-30- 740-35-810- EB-35-880- 40-1000-EB- 40-1200.	Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Period of probation, if any	Method of rectt. whether by direct recruitment or by promotion or by deputation transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
10	11	12	13	14
Not applicable	By promotion	Promotion : Stenographers Grade I of All India Radio/Doordarshan with 3 years' regular service failing which Stenographer Grade I with combined regular service of 8 years' in the posts of Stenographer Grade I and Stenographer Grade II. Note : The Stenographers Grade I of Doordarshan will not be considered if they exercise option to join Doordarshan on bifurcation of the cadres of All India Radio/Doordarshan.	Group 'B' Departmental Promotion Committee Deputy Director General (Administration), Directorate General, All India Radio—Chairman. Joint Director, News Services Division, All India Radio—Member. One of the Deputy Directors General, All India Radio—Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[No. 9/23/82—S.II/AIR/B(A)]
KASHMIRI LAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 1986

सा. का. नि. 1096—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सूचना सेवा नियम, 1959 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय सूचना सेवा (संशोधन) नियम, 1986 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन का तारिख को प्रवृत्त होंगे।
2. केन्द्रीय सूचना सेवा नियम, 1959 में—

- (1) अनुसूचा 1 में, स्तंभ 1 में "विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय" के कार्यालय से संबंधित प्रविष्टि के सामने, पदनाम से संबंधित स्तंभ 2 में अन्त में निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

"प्रदर्शनों अधिकारी";

- (2) अनुसूचा 2 में, स्तंभ 1 में "विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय" के कार्यालय से संबंधित प्रविष्टि के सामने, पदनाम से संबंधित स्तंभ 2 में, अन्त में निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

"फोल्ड प्रदर्शनों अधिकारी";

(3) अनुसूचा 3 में, पहले और दूसरे स्तंभ में, विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ा जाएंगे, अर्थात्:—

"विज्ञापन और दृश्य प्रचार निरीक्षक प्रदर्शन,"
निदेशालय

टिप्पण : केन्द्रीय सूचना सेवा नियम, 1959 नामक मूल नियम सा. का. नि. 217 तारिख 11 फरवरी, 1959 के अधीन अधिसूचित किए गए थे। तदुपरोक्त निम्नलिखित संशोधन अधिसूचित किए गए :

क्रम सं. अधिसूचना क्र. सं. और तारिख

1. एफ. 7/1/60-सा. आई. एस., दिनांक 29-2-60
2. एफ. 7/2/60-सा. आई. एस., 7/2/61-सा. आई. एस. और
3. 7/3/61-सा. आई. एस., दिनांक 15-3-61
4. एफ. 8/6/63-सा. आई. एस., दिनांक 5-9-62
5. एफ. 7/1/62-सी. आई. एस., दिनांक 5-10-63
6. एफ. 9/5/63-सा. आई. एस., दिनांक 1-8-64
7. एफ. 9/2/63-सा. आई. एस., दिनांक 1-8-64
8. एफ. 8/12/63-सी. आई. एस., दिनांक 6-8-64
9. एफ. 7/12/62-सी. आई. एस., दिनांक 22-8-64
10. एफ. 8/12/63-सा. आई. एस. दिनांक 6-10-64
11. एफ. 1/5/64-सा. आई. एस., दिनांक 17-10-64
12. एफ. 1/8/64-सी. आई. एस., दिनांक 1-7-65
13. एफ. 4/25/63-सी. आई. एस., दिनांक 1-7-65
14. एफ. 9/1/62-सी. आई. एस., दिनांक 27-9-65
15. एफ. 1/10/65-सी. आई. एस., दिनांक 7-10-65